रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 656] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 29, 1987/पौष 8, 1909
No. 656] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 29, 1987/PAUSA 8, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 1987

शुद्धिपत्र

का. आ. 1129 (अ) :—तारीख 14 अगस्त, 1987 को भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत के श्रम मंत्रालय की तारीख 13 अगस्त, 1987 की अधिसूचना संख्या का. आ. 775 (अ) में जहां भी कम्पनी का नाम मैसर्स इन्डियन

21 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय (विधायी विभाग) की अधिसूचना संख्या का. आ. 541 (अ.), तारीख 25 जुलाई, 1985 के अनुक्रम में, ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग और कर्त्तव्यों का निर्वहन करने के लिए, जिनका उक्त अधिनियम के द्वारा या उसके उपबन्धों के अधीन पंजाब वक्फ बोर्ड द्वारा या उसकी ओर से प्रयोग और पालन किया जा सकेगा, भारत सरकार के विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय (विधायी विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 68 (अ), तारीख 9 फरवरी, 1982 द्वारा, भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. 198 (अ), तारीख 17 अप्रैल, 1986, का. आ. 386 (अ.), तारीख 14 अप्रैल, 1987 और का. आ. 782 (अ.), तारीख 19 अगस्त, 1987 द्वारा यथा संशोधित भारत सरकार के विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय (विधायी विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 131 (अ), तारीख 9 मार्च, 1982, का. आ. 288(अ), तारीख 11 अप्रैल, 1983, का. आ. 64 (अ), तारीख 2 फरवरी, 1984 और का. आ. 95 (अ), तारीख 5 फरवरी, 1985, द्वारा निदेशित व्यक्ति के परामर्श से श्री के. शेख अहमद को 1 जनवरी, 1988 से 30 अप्रैल, 1988 तक की और अवधि के लिए पंजाब वक्फ बोर्ड का सचिव नियुक्त करती है।

[सं. 4(6)/86-वक्फ]

एस. एम. वाई. नदीम, उप सचिव

MINISTRY OF WELFARE

New Delhi, the 30th December, 1987

NOTIFICATION

S.O. 1130(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 21 of the Wakf Act (29 of 1954), read with the notification of the Government of India in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Legislative Department) No. 4(3)|73-Wakf dated the 30th December, 1975 published as notification No. S.O. 247, dated 30th December, 1975 in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 17th January, 1976, and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Law and Justice (Legislative Department) No. S. O. 541(E), dated the 25th July, 1985, the Central Government, in consultation with the person directed by the notification of the Government of India in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Legislative Department) No. S. O. 68(E), dated the 9th February, 1982, as amended by the notifications No. S.O. 131(E), dated the 9th March, 1982, No. S.O. 288(E), dated the 11th April, 1983, No. S. O. 64(E), dated the 2nd February, 1984, and No. S. O. 95(E) dated the 5th

February, 1985 of the Government of India in the Ministry of Law and Justice (Legislative Department) and notifications of the Government of India in the Ministry of Welfare No. S.O. 198(E), dated the 17th April, 1986 No. S. O. 386(E), dated the 14th April, 1987 and No. S. O. 782(E), dated the 19th August, 1987 to exercise and perform all the powers and duties which may, by or under the provisions of the said Act, be exercised and performed by or on behalf of the Punjab Wakf Board, hereby appoints Shri K. Sheikh Ahmed as Secretary of the Punjab Wakf Board for a further period on and from the 1st day of January, 1988 to the 30th day of April, 1988.

[F. No. 4(6)|86-Wakf]

S. M. Y. NADEEM, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987